शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 41 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 16 – 23 अक्तूबर 2023 मूल्य पांच रूपये

कौन झूठ बोल रहा है सुक्खु या जयराम शान्ता ने पूछा सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश एक कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है यह चेतावनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही जनता को दे दी थी। यह दूसरी बात है की जयराम सरकार के समय जब वह विधायक थे तब उन्हें इस स्थिति का अन्दाजा नहीं हो पाया था। यहां तक कि जब कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी तब भी ऐसी वित्तीय स्थिति का कोई इंगित तक नहीं हो पाया था। इस कठिन वित्तीय स्थिति के नाम पर ही प्रदेश में सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाये गये। संवैधानिक प्रावधान न होते हुये भी प्रदेश में छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गयी और उन्हें महंगी गाड़ियों से नवाजा गया।

इसी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये हजारों आउटसोर्स कर्मियों को सेवा से निकला गया। ऐसे दर्जनों फैसले हैं जो कठिन वित्तीय स्थिति के नाम पर जनता पर लादे गये हैं। कई गैर विधायकों को ताजपोशीयों से नवाजा गया है। कठिन वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में ही जनता गारंटीयों की मांग नहीं कर रही है।

से गुजर रही सरकार पर जब प्राकृतिक आपदा ने भी अपना

योगदान दिया तब सही में प्रभावितों को पता चला कि आपदा का दंश क्या होता है और ऐसे समय में जब सरकार का खजाना खाली हो तो तब पता चलता है कि इसका व्यवहारिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। सुक्खु सरकार ने दिसम्बर में सत्ता संभाली थी और आपदा का प्रकोप जुलाई से शुरू हुआ। लेकिन सरकार ने डीजल पर वैट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बढ़ा दिया था। इस आपदा में 500 से अधिक लोग मारे गये हैं या गुम हुये हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार 12000 करोड़ का नुकसान इस आपदा में हुआ है। स्वभाविक है कि इतने बड़े नुकसान कि राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से भरपाई नहीं कर सकती है। उसके लिये केंद्र सरकार की सहायता चाहिये थी। आपदा के इस आकार पर राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। जोशीमठ और भुज की त्रासदी की तर्ज पर सहायता की मांग की थी। इस आपदा की में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश के दौरे पर आये थे और प्रदेश को 300 करोड़ की सहायता की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो प्रदेश से ताल्लुक रखने के नाते केंद्र सरकार की पूरी सहायता प्रदेश को मिलने की बात कह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तो शिमला में सरकार से बैठक करके कहा था की प्रदेश सरकार जो भी मागेगी उसे वह सब मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो वाकायदा आंकड़े गिनाकार यह बता रहे थे कि सुक्खु सरकार ने जो 4500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है वह केंद्रीय सहायता पर ही आधारित है।

लेकिन सुक्खु सरकार लगातार यह कह रही है कि केंद्र सरकार से कोई सहायता प्रदेश को नहीं मिल पायी है। 4500 करोड़ का राहत पैकेज सरकार में अपने ही संसाधनों से दिया है। इसके लिये विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में कटौती की गयी है। विभागों के बजट में कटौती की है। 1000 करोड़ मनरेगा से लिया गया है। इस समय केंद्रीय सहायता का सच आपदा से बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले नड्डा, अनुराग ने एक बार भी जयराम द्वारा परोसे जा रहे आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। जयराम प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं वह जनता को केंद्रीय सहायता के बारे में बराबर जानकारी दे रहे हैं। दूसरी और सुखविंदर सिंह सुक्खु लगातार केंद्रीय सहायता मिलने से इनकार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस सरकार द्वारा दस माह में ही दस हजार करोड़ का कर्ज लेने की बात कह रहे हैं और कर्ज लेने में इस आंकड़े का कोई खंडन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में यह सवाल अलग से खड़ा होता जा रहा है की यह कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है? मुख्यमंत्री हर सहायता की राशि दो गुनी करने की घोषणा करते आ रहे हैं ऐसे में अब वह समय आता जा रहा है जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की घोषणाओं का व्यवहारिक सच आने वाले दिनों में जनता के सामने आयेगा ही।

इस समय केंद्रीय सहायता पर जिस तरह का वाकयुद्ध सुक्खु और जयराम में चल निकला है उस पर स्वतः ही यह सवाल खड़ा हो गया है की इन दोनों शीर्ष नेताओं में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। दो बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शान्ता कुमार ने ऐसे समय में यह सवाल उठाया है कि प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी पर भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जब जनता में इस तरह की ब्यानबाजी पर आ गये हैं तो प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है।

प्रदेश विश्वविद्यालय को देश के विख्यात शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए करें समन्वित प्रयास:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को देश के आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए विश्वविद्यालय की कि कोर्ट के सक्षम व अनुभवी सदस्यों के सहयोग से विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में उल्लेखनीय सुधार तथा विकास सुनिश्चित होगा।

अकादमिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट की 34वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती व अन्य विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि यह बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय की समस्याओं व आवश्यकताओं पर शीघ्र चर्चा कर शिक्षण संस्थान व छात्रों के समग्र विकास एवं सुधार बारे कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा

शुक्ल ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को ए-ग्रेड प्रदान करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी के योगदान व प्रयास से यह सफलता प्राप्त हुई है लेकिन अभी बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को देश के विख्यात शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए सभी के अथक प्रयास व सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अकादमिक और अनुसंधान के स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में सेवारत अध्यापक वर्ग का कर्तव्य है कि नई पीढ़ी को मात्र उपाधि धारक बना देने से अपना दायित्व पूरा न समझें बल्कि युवाओं में सामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए साहस और क्षमता विकसित करना भी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना होगा ताकि आज का विद्यार्थी भविष्य में बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने में समर्थ हो सके।

शुक्ल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल अपने नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटक स्थलों के रूप में विख्यात है, लेकिन इस वर्ष अत्यधिक बारिश से आई आपदा से हुई जान-माल की क्षति ने प्रदेशवासियों को भविष्य में पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी, प्रदूषण व असुरक्षित पर्यावरण जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति सभी वर्गों को समय रहते कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर हमीरपुर जिला के भोरंज से विधायक सुरेश कुमार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया।

बैठक की कार्यवाही के आरम्भ में प्रदेश में आई आपदा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जान गंवाने वाले नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कुलपति आचार्य सतप्रकाश बंसल ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की दशहरा उत्सव पर प्रदेशवासियों को बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व प्रदेश भर में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के लोगों को दशहरा उत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि यह उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया 'हिम समाचार' एप का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं जन संपर्क विभाग की 'हिम समाचार' एप का शुभारंभ किया, जिसमें विभागीय बुलेटिन

के साथ-साथ अन्य वीडियो कटेंट उपलब्ध होंगे। इस एप में विभागीय वीडियो, शॉर्ट रील्ज तथा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। हिम समाचार एप गूगल प्ले स्टोर से तथा क्यू.आर. कोड स्कैन कर भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप के माध्यम से लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं तथा सरकार की इन नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में सूचना एवं जन संपर्क विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सूचना तकनीकी का और अधिक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन सहजता से सटीक व तथ्यपरक जानकारी प्राप्त कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस मुकेश रेपस्वाल, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री को 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आयी आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के तहत बेहतरीन नेतृत्व प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सराहा है। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जन कल्याण के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया है।

वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों सुमित सिंगला और जसवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी आपदा के दौरान बेहतर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की प्रशंसा की है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आपदा के बीच 72 घंटे रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में 75 हजार पर्यटकों और 15 हजार गाड़ियों को प्रदेश से सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ-साथ 48 घंटे की छोटी सी अवधि के दौरान बिजली, पानी और संचार सेवाओं जैसी आवश्यक को अस्थाई तौर पर बहाल कर दिया गया, जिससे स्थिति सामान्य हुई तथा लोगों को राहत मिली। मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर अधिकारियों को उचित निर्देश देते रहे।

मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश में 11 ईको-टूरिज्म स्थल चिन्हित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ईको-टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित ईको-पर्यटन स्थल एक हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है।

की जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ईको-टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 ईको-पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें पालमपुर वन मंडल में स्वार, सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क, बीड़-बिलिंग, पार्वती वन मंडल में कसोल, खीर गंगा व सुमारूपा, सिराज में सोझा, कोटगढ़ में नारकंडा और शिमला वन मंडल के तहत शोघी कैंपिंग स्थल व पोटर हिल कैंपिंग स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा है और हिमाचल की मनभावन वादियां देश-विदेश से सैलानियों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि ईको-पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य स्थानों पर भी ईको-पर्यटन स्थल चिन्हित कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

ई-कोर्ट परियोजना से अधिक सुगम होगी न्याय व्यवस्था:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा ई-कोर्ट परियोजना चरण-3 पर राज्यों के कानून मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इस परियोजना का चार साल (2023 से आगे) तक का वित्तीय परिव्यय 7210 करोड़ रुपये है। चरण-3 में 24 घटक हैं, जिसका उद्देश्य सभी न्यायिक परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों के माध्यम से विरासत रिकॉर्ड सहित संपूर्ण अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ई-फाइलिंग व ई-पेमेंट का सार्वभौमिकरण कर डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस कर सुगम न्याय की व्यवस्था शुरू करना है।

जगत सिंह नेगी ने बताया कि चरण-3 का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित मंच उपलब्ध करवाना है जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करेगा।

भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव एस.के.जी. रहाटे ने बैठक का संचालन किया एवं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने राज्य में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का मामला उठाया। भारत सरकार के न्याय विभाग की ओर से अवगत करवाया गया कि परियोजना के इस चरण में इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

बैठक के दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य के अनछुए पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा अनछुए पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। धर्मशाला के इंद्रूनाग टउ-चोला में 7.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले मैकलोडगंज-भागसूनाग-टउ चोला मार्ग के कार्य तथा 6.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हीरू दसालन-टमरू चोला मार्ग के कार्य का भूमि पूजन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इन मार्गो के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को आलौकिक सौंदर्य से नवाज़ा है और हिमाचल की मनभावन वादियां देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर, बनखंडी में जूलॉजिकल पार्क, नगरोटा बगवां में ओल्ड एज वेलनेस रिजॉर्ट एवं हाई एंड फाउंटेन, नरघोटा में प्रस्तावित टूरिज्म विलेज, आइस स्केटिंग तथा रोलर स्केटिंग रिंक, परागपुर में गोल्फ कोर्स मैदान, धर्मशाला में धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क, पालमपुर के मैंझा में

वैडिंग रिजॉर्ट, हेलीपोर्ट निर्माण जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र शुरु किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 ईको-पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें कांगड़ा जिला के पालमपुर वन मंडल में स्वार, सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क तथा बीड़-बिलिंग शामिल हैं। प्रत्येक ईको-पर्यटन स्थल एक हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि ईको-पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे पहले लायंस क्लब तथा रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में एक-एक लाख का चेक भी भेंट किए।

इस अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकर सुनील शर्मा, राज्य कृषि सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में निदेशक पुनीत मल्ली, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को 'लैंड कोड' के प्रकाशन पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग को लगभग तीन दशक के उपरांत प्रकाशित नए 'लैंड कोड' के प्रकाशन के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने नई भू-संहिता (लैंड कोड) को लागू करने का आश्वासन दिया था, जिसमें भूमि संबंधी नियमों, कानूनों और आवश्यक निर्देशों का अद्यतन संकलन होगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा लगभग 31 वर्षो के बाद नया लैंड कोड जारी किया गया है। पहला लैंड कोड वर्ष 1992 में प्रकाशित हुआ था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधित मामलों के विषय में लोगों को अक्सर राजस्व विभाग से संबंधित कार्य रहते हैं। लैंड कोड के माध्यम से भूमि विवादों का सामाजिक समन्वय व पारिवारिक जुड़ाव के साथ सर्वसम्मत समाधान निकालने में सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि जन-समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व न्याय प्रणाली का सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों और लोगों को विभिन्न नियम और विभागीय दिशा-निर्देशों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नई भू-संहिता न केवल राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगी, बल्कि आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए भूमि संबंधी विषयों के त्वरित निपटारे में भी सहायक होगी। इसमें राजस्व विभाग के कानूनों और नियमों और उसमें जारी निर्देशों के बारे में समय-समय पर जानकारी भी मिलेगी।

शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए योजना बनाएगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शिमला के समीप

भराड़ी स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। पुलिस कर्मी देश सेवा का अथक भाव रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष मानसून में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस कर्मियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया और जानमाल व सम्पत्ति की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग को उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी से लैस कर रही है तथा विभाग में सार्थक दृष्टिकोण के साथ महत्त्वपूर्ण बदलाव किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा सेवन से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भी अंकुश लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के शहीद हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को सम्मानित किया। इनमें दिवंगत आई.पी.एस. अधिकारी साजू राम राणा, उप-निरीक्षक राकेश गौरा, सहायक उप-निरीक्षक विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी प्रवीण कुमार, आरक्षी कमलजीत, आरक्षी सचिन राणा, आरक्षी अभिषेक सिंह और आरक्षी लक्ष्य मौंगरा के परिजनों को सम्मानित किया।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस स्मृति दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष 21 अक्तूबर को मनाया जाता है। इस दिन देशभर में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत 32454 मीट्रिक टन सेब खरीद की:जगत सिंह नेगी

एचपीएमसी का नया वेब पोर्टल लान्च

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के निदेशक मण्डल (बीओडी) की 213वीं बैठक

आयोजित हुई।

बागवानी मंत्री ने औपचारिक रूप से एचपीएमसी के नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। सीए व कोल्ड स्टोर्स की बुकिंग, बाजार मध्यस्थता योजना (एमआईएस) और बागवानी खाद व उपकरण की बिक्री जैसी एचपीएमसी की सभी सेवाएं वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई हैं।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी ने बाजार मध्यस्थता योजना-2023 के तहत अब तक 32454 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। राज्य में भारी वर्षा के कारण हुई आपदा के बावजूद एचपीएमसी योजना के तहत खरीदे गए सेब की पूरी मात्रा उठाने में कामयाब रही है। एचपीएमसी ने वर्तमान सेब सीजन के दौरान अपने तीन फल प्रसंस्करण संयंत्रों पराला, परवाणु और जडोल (मण्डी) में रिकॉर्ड 1288 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का उत्पादन किया है।

उन्होंने बताया कि नव स्थापित एचपीएमसी फल प्रसंस्करण संयंत्र पराला का परीक्षण और कमीशनिंग वर्तमान सेब सीजन के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एचपीएमसी सुविधा में एप्पल जूस कन्सन्ट्रेट, पेक्टिन, रेडी टू सर्व जूस और पेय, फलों की वाइन और एप्पल साइडर विनेगर का उत्पादन करेगा।

एचपीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 120 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया है। बैठक के दौरान वर्तमान सेब सीजन के दौरान उत्पादित एप्पल जूस कन्सन्ट्रेट की दरें भी तय की गई। बैठक में सभी एचपीएमसी उत्पादों की पैकेजिंग डिजाइन को चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय लिया गया।

बीओडी ने सेब उत्पादकों को उचित मूल्य पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बागवानी इनपुट की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का निर्णय लिया। एचपीएमसी ने अगले सेब सीजन के दौरान सेब उत्पादकों को केवल यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाने और टेलीस्कोपिक कार्टन की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया है। एपीएमसी मार्केट यार्ड पराला, सोलन और परवाणु में सेब व्यापारिक गतिविधियों को अगले वर्ष के दौरान जारी रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में एक नीति को मंजूरी दी गई। एचपीएमसी ने विभिन्न माध्यमों से अपने उत्पादों की बिक्री को गति प्रदान करने के लिए अपनी वितरण नीति शुरू की है।

बागवानी मंत्री ने एचपीएमसी अधिकारियों से राज्य के बाहर स्थित संपत्तियों और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करके और किसानों के सर्वोत्तम हित में सभी व्यावसायिक गतिविधियों की कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित कर और दक्षता बढ़ाकर निगम को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने निगम को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए नए और दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्यमों पर भी बल दिया।

बैठक के दौरान सचिव बागवानी सी. पालरासु, निदेशक बागवानी संदीप कदम, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोख्टा और प्रबंध निदेशक एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन रीमा कश्यप और एचपीएमसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया में सहयोग की अपील

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया को 31 अक्तूबर, 2023 पूर्ण किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय सर्वर में अचानक आई तकनीकी समस्या के दृष्टिगत ई-केवाईसी की प्रक्रिया बाधित हो गई थी, जिसे दुरूस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 अक्तूबर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पुनः सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर देगी।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी उचित मूल्य की दुकान में राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा हो रही हो तो इसका समाधान 24 अक्तूबर तक कर दिया जाएगा।

आपके मस्तिष्क की शक्ति सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या विपक्षी एकता बनी रहेगी

इस समय देश एक कठिन राजनीतिक दौर से गुजर रहा है क्योंकि 2014 में जिन वायदों पर सत्ता परिवर्तन हुआ था उनका असली चेहरा अब जनता के सामने उजागर होता जा रहा है। 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन आंकडों और तथ्यों के सहारे एक वातावरण खड़ा किया गया था उनका खोखलापन अब सबके सामने आ चुका है। कैग की जिस रिपोर्ट के सहारे 2-जी स्पैक्ट्रम का 1,76 000 करोड़ का घपला होना जनता में परोसा गया था वह घपला हुआ ही नहीं था यह स्वीकारोक्ति है उस विनोद राय की जिसने कैग रिपोर्ट का संकलन किया था। आज कैग और आर.बी.आई की जो रिपोर्ट आ चुकी है उनका आंकड़ा कई गुणा बड़ा है। यह सब आने वाले चुनाव में बड़े मुद्दे होंगे। जो लोग बैंकों का लाखों करोड़ का ऋण लेकर देश छोड़कर जा चुके हैं उनकी वापसी वायदों से आगे नहीं बढ़ी है। जिन लोगों के खिलाफ 2014 में भ्रष्टाचार का एक बड़ा आवरण खड़ा किया गया था उन्हें दस वर्षो में चालान अदालत तक ले जाने के मुकाम पर भी नहीं पहुंचाया जा सका है। यही नहीं अब चुनावों से पहले जन विश्वास विधेयक के माध्यम से 183 धाराओं से जेल की सजा का प्रावधान हटाया गया और उनमें ई.डी. और सी.बी.आई. भी शामिल है। जबकि ई.डी., सी.बी.आई. बीते दस वर्षो में सत्ता के मुख्य सूत्र रहे हैं। आज अकेले अदानी के नाम देश के बैंकों का इतना ऋण है कि यदि किन्हीं कारणो से वह इस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाये तो पूरे देश के बैंक एक क्षण में डूब जाएंगे और जन विश्वास विधेयक के माध्यम से लाये गये संशोधन से अब बैंक ऋण में डिफाल्टर होने पर जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। इस तरह 2014 से अब तक जो कुछ घटा है यदि उस सब को एक साथ जोड़कर देखा जाये तो आज सवाल देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य के सुरक्षित रहने के मुकाम पर पहुंच गया है। पहली बार विपक्षी दलों को इकटठे होकर ई.डी. और सी.बी.आई. के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगानी पड़ी है। जो आशंकाएं विपक्ष में व्यक्त की थी वह काफी हद तक सिसोदिया मामले में सामने आ चुके है।

भविष्य के इन सवालों ने ही विपक्षी दलों को एक मंच पर आने के लिए व्यवहारिक रुप से प्रेरित किया और परिणामस्वरुप इण्डिया गठबन्धन सामने आया है। इस इण्डिया गठबन्धन के कारण ही 'एक देश एक चुनाव' और 'महिला आरक्षण' जैसी योजनाएं सामने आयी जिन्हें जमीनी हकीकत बनने में लम्बा समय लगेगा। इन्ही योजनाओं के बीच सनातन धर्म का सवाल खड़ा हुआ है। इण्डिया भारत बना और सविधान की प्रस्तावना से सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब हुये हैं। इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्तारुढ़ गठबन्धन को सत्ता से बेदखल कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। यह गठबन्धन लोकसभा चुनावों के लिये बना है और शायद इसी कारण से एक देश एक चुनाव को व्यवहारिक रुप नहीं दिया गया। अभी जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें इसी इण्डिया गठबन्धन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि यही चुनाव तय करेंगे कि लोकसभा चुनावों तक इण्डिया कितना एकजुट हो पाता है। सत्तारुढ़ भाजपा एन.डी.ए. इन विधानसभा चुनावों में इण्डिया के घटक दलों के आपसी टकराव को देश में एक बड़े स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करेगी। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का जन्म एक दूसरे के विरोध से ही तो होता है। फिर इन चुनावों में कौन सा दल मुफ्ती की कितनी घोषणाएं करता है और उनको पूरा करने के लिए कितने कर्ज का बोझ जनता पर डालता है। यह भी इण्डिया का भविष्य तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्योंकि इन विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों के बीच इतना पर्याप्त समय रह जाता है कि चुनावी घोषणाओं की व्यवहारिकता पूरी स्पष्टता से सामने आ जायेगी। फिर इन विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिये विपक्ष में कांग्रेस की किसी राज्य सरकार को अपदस्थ करने तक की व्यूह रचना कर दी जाये। ऐसे में इण्डिया गठबन्धन को कमजोर करने के लिये आने वाले समय में कुछ भी खड़ा हो जाने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

सत्ता के विधायी इकाइयों में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए

गौतम चौधरी

सत्ता के विभिन्न विधायी पंचायतों में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण तो ठीक है लेकिन इसमें अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह देश के समावेशी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। लंबे रचनात्मक संघर्ष के बाद नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण वाला विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक को पास होने में 27 वर्ष लग गए। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद अब देश की आधी आबादी को विभिन्न विधायी पंचायतों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पिछली कई सरकारों ने इसे पारित कराने की पूरी कोशिश की लेकिन मामला कहीं न कहीं जा कर फंस जा रहा था। इस विधेयक के पास हो जाने से देश की महिलाओं को वह हक प्राप्त हो जाएगा, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस विधेयक की चतुर्दिक सराहना हो रही है। यह विकास भारतीय राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही भारत के राजनीतिक इतिहास में यह मील का पत्थर साहिब होगा।

सीटों का आरक्षण होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। देश के संविधान में महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं लेकिन आज भी महिला प्रताड़ित है। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पास होने का जश्न मनाते समय, महिलाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि आगे का रास्ता और कठिन है। अब धीरे-धीरे ही सही देश की कमान महिलाओं के हाथ में आने वाली है। इस विधेयक के पास होने से बहुत कुछ बदलना फिलहाल संभव नहीं है इसलिए महिलाओं को समावेशन विकास पर जोर देने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा। खास कर मुस्लिम महिलाओं को अपनी भूमिका तय करने का वक्त आ गया है। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं।

वैसे तो इस्लाम में महिलाओं को कई प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त है लेकिन कुछ रूढ़िवादी तत्वों ने महिलाओं को इस्लाम में मिले कई विशेष अधिकार से बंचित कर रखा है। हदीश आयतों का हवा देकर महिलओं को कमजोर बनाया जाता रहा है। खास कर दक्षिण एशियायी मुल्कों में यह सिलसिला विगत कई सैंकड़ों वर्षो से चल रहा है। उस सिलसिले को तोड़ते हुए नरेन्द्र मोदी की तत्कालिन सरकार ने 1 अगस्त 2017 को एक एतिहासिक फैसला लिया और संसद में बहुमत से तीन तलाक को समाप्त कर दिया। इस एतिहासिक दिन को 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' के रूप में नामित किया गया। इस तीन तलाक वाले विधेयक के पास होते ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे सामाजिक अन्याय से मुक्ति मिल गयी है। मोदी सरकार ने इस अन्यायपूर्ण प्रथा के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी प्रतिबद्धता को साबित करके दिखाया। हालांकि इस मामले में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रथा का यह कहते हुए विरोध किया था कि हिन्दू बहनों को तो हमने उनका वाजिब हक दिला दिया है लेकिन मुस्लिम बहनों को भी उनका बनता अधिकार दिलाना बांकी है। इसके बाद नेहरू कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे और उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया था। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कर परिचय देते हुए बिना किसी की परवाह किए तीन तलाक विधेयक को पारित कर कानून का सक्ल प्रदान कर करवा दिया।

लैंगिक समानता और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बेहद जरूरी था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सरकार का समर्पण निरंतर जारी है। इसका एक छोटा-सा उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला जब 2023 में 4,000 से अधिक भारत की मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार या महरम के हज यात्रा पर निकलीं, जिसे पहले अपने यहां स्थायी रूप से गैरकानूनी माना जाता था। यह केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर हो सका है। इन महिलाओं ने वर्तमान सरकार को और उनके प्रयासों की भूरि-भूरि प्रसंशा की है। साथ ही आभार भी व्यक्त किया है।

इन सराहनीय प्रयासों के आलोक में, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक के तहत मुस्लिम महिला आरक्षण की वकालत करना उचित है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे समाज के सभी वर्गो को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिल पाएगा। ऐसा विधेयक न केवल समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा, बल्कि सभी के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके हमारे लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत बनाएगा, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इन सराहनीय प्रयासों के साथ महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के भविष्य के लिए एक आशाजनक तस्वीर पेश करता है। लैंगिक समानता की दिशा में यह यात्रा जारी रहे। इसकी राजनीतिक सीमा तय नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसे दलगत राजनीति से जोड़ कर भी नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों सहित महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक शानदार प्रतिबद्धता का संकेत देता है। जैसा कि हम इन मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं, हमें आगे की प्रगति की वकालत भी जारी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश भर में सभी महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का समान अवसर उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

शिमला। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम- अजय) में 03 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) को शामिल किया गया है। इस योजना को 2021-22 से कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजित कर अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करने और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त ढांचे तथा अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक- आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

इस योजना के तीन घटक,

1. अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना।

2. अनुसूचित जाति के समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जिसमें आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत चयनित गांवों सहित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों का निर्माण, समग्र आजीविका परियोजनाएं जिनमें कौशल विकास और इससे संबंधित अवसंरचना विकास, आजीविका के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/सृजन के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है।

3. उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण जो भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार शीर्ष स्थान पर हैं और जिनका वित्त पोषण केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से किया जाता है। इसी तरह, केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्त पोषित और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित स्कूलों में छात्रावास का निर्माण शामिल है।

आदर्श ग्राम घटक (पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना) के उद्देश्य- इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, योजना के तहत सामाजिक- आर्थिक विकास की जरूरतों के लिए आवश्यक पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सभी अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए। इससे सामाजिक- आर्थिक संकेतकों में सुधार होगा। निगरानी योग्य संकेतकों के रूप में पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है ताकि अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता खत्म हो सके और राष्ट्रीय औसत के स्तर तक संकेतकों का स्तर बढ़ाया जा सके। विशेष रूप से, सभी बीपीएल, एससी परिवारों को खाद्य और आजीविका सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी एससी बच्चों को कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, मातृ और शिशु मृत्यु दर के सभी कारकों से निपटा जाना चाहिए और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को समाप्त किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/ राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के बारे में 'अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की पूर्ववर्ती योजना'

इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति के समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:

समग्र आजीविका परियोजनाएं: ऐसी परियोजनाएं जो केवल अनुसूचित जाति के समुदायों के लिए निरंतर आय या सामाजिक उन्नति के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी। ऐसी परियोजनाओं में निम्नलिखित में से दो या अधिक का संयोजन होना चाहिए:

कौशल विकास: एमएसडीई के मानदंडों के अनुसार कौशल संबंधी पाठयक्रम। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों के लिए संबंधित सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। कौशल विकास संस्थानों का भी वित्तपोषण किया जा सकता है।

लाभार्थियों/परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के सृजन/अधिग्रहण के लिए अनुदान: इस योजना के तहत किसी एकल व्यक्ति को परिसंपत्ति का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि परियोजना में आजीविका सृजन के लिए आवश्यक लाभार्थियों/ परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/सृजन का प्रावधान है, तो ऐसी अधिग्रहण/परिसंपत्तियों के सृजन के लिए लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी/परिवार 50,000 रुपये या परिसंपत्ति लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, वो होगी।

बुनियादी ढांचे का विकास: इस परियोजना में संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास और छात्रावास व आवासीय स्कूल का विकास भी शामिल है।

ii. अन्य बुनियादी ढांचा- अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विभिन्न अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाएं।

विशेष प्रावधान:

विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए व्यवहारिक रूप से आय सृजित करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रम पर कुल अनुदान का 15 प्रतिशत तक।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुदान का 30 प्रतिशत तक उपयोग किया जाता है।

कुल धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत कौशल विकास के लिए।

उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन में लगी अनुसूचित जाति की महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियां:- आदर्श ग्राम घटक के तहत, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1260 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। योजना के छात्रावास घटक के अंतर्गत कुल 09 नए छात्रावासों को मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान सहायता घटक के तहत 07 राज्यों के लिए परिप्रेक्ष्य योजना स्वीकृत की गई है।

'आयुर्वेद दिवस' दुनिया भर के 100 देशों में मनाया जाएगा

शिमला। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। 'वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद' की थीम पर 'आयुर्वेद दिवस' का मनाया जाना एक वैश्विक कार्यक्रम होगा और इसे सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय को देश के सभी मंत्रालयों का सहयोग मिलेगा। आयुष मंत्रालय ने 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाये जाने वाले 'आयुर्वेद दिवस' के सफल आयोजन के लिए विभिन्न मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयुर्वेद दिवस को हमारे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश के सभी मंत्रालयों के परस्पर सहयोग और सहायता से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए।

बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि अधिकारियों ने 'आयुर्वेद दिवस' को बेहद सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ अपने विचार साझा किए। मुख्य रूप से गृह, संस्कृति, विदेश, जनजातीय, जल संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआईआर आदि मंत्रालयों और विभागों ने अपने विचार साझा किए और कहा कि हमें डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके और विभिन्न सहभागितापूर्ण गतिविधियों को संगठित कर 'आयुर्वेद दिवस' को एक वैश्विक उत्सव बनाना चाहिए। 'आयुर्वेद दिवस' को सफल बनाने के लिए सभी मंत्रालयों ने आयुष मंत्रलय के साथ अपनी- अपनी भागीदारी के बारे में चर्चा की।

आयुष सचिव ने कहा कि हमें 'प्रतिदिन सभी के लिए आयुर्वेद' के संदेश के साथ आयुर्वेद दिवस के तीन मुख्य बिंदुओं 'छात्रों के लिए आयुर्वेद, किसानों के लिए आयुर्वेद, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद' पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार करना तथा मानव जाति, पशुओं, पौधों और पर्यावरण के कल्याण के लिए इसे वैश्विक परिदृश्य में स्थापित करना है।

2014 से शहरी विकास में 18 लाख करोड़ रुपये का निवेश:हरदीप सिंह पुरी

शिमला। भारत में शहरी प्रणालियों पर वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईसीएस) रिपोर्ट ने भारतीय शहरों में स्थानीय शासन का पहला राष्ट्रव्यापी विश्लेषण प्रदान किया और तब से नागरिक-केंद्रित सोच के माध्यम से शहर-आधारित विश्लेषण और नगरपालिका प्रदर्शन के मूल्यांकन के दायरे का विस्तार किया गया है। आवास एवं शहरी मामले और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के होटल इंपीरियल में जनाग्रह और रेनमैटर फाउंडेशन द्वारा सह-आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में शहर-प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण (एन्युअल सर्वे ऑफ़ इंडियन सिटीज सिस्टम-एएसआईसीएस) 2023 रिपोर्ट का छठा संस्करण जारी किया।

इस रिपोर्ट में भारत में शहरी विकास से संबंधित डेटासेट से सम्बद्ध 82 नगरपालिका विधान, 44 शहर और देश नियोजन अधिनियम, 176 संबद्ध अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं, 32 अन्य नीति/योजना दस्तावेज़ और 27 अतिरिक्त का अध्ययन शामिल है ।

इस रिपोर्ट में की गई 10 प्रमुख अनुशंसाओं के संबंध में मंत्री ने कहा कि 'परिवर्तन के ये 10 साधन' शहरी प्रशासन में विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण के सिद्धांतों को और गहरा करने के साथ ही 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भावना भी को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

पुरी ने कहा कि रिपोर्ट में शहरी प्रशासन में विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण के इस एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व कार्यों को स्वीकार किया गया है। उन्होंने 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज-यूएलबी) को वित्त आयोग के अनुदान में छह गुना वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 15वें वित्त आयोग ने दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूहों और अन्य शहरों के बीच अंतर किया है, जिसमें वायु गुणवत्ता, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए प्रोत्साहन के साथ 50 शहरी समूहों को लगभग 38,196 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत परिणाम-आधारित वित्त पोषण उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि अमृत (एएमआरयूटी) कार्यक्रम ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) में ऐसे 11 अनिवार्य सुधारों की स्थापना की है, जिसमें शहरों की साख में सुधार, नगरपालिका बांडों का संचालन और नगरपालिका कैडर का व्यवसायीकरण शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 12 शहर पहले ही नगरपालिका बांड के माध्यम से 4,384 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुके हैं।

सरकार ने भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण जैसे शहरी नियोजन सुधारों को शुरू करने, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को अपनाने, प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से हरित बुनियादी ढांचे का एकीकरण, यथास्थान पुनर्वास के माध्यम से लागत प्रभावी आवास, भू-स्थानिक सूचना प्रणाली-आधारित मास्टर प्लानिंग और ऑनलाइन भवन स्वीकृति प्रणाली (ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम-ओबीपीएस) जैसे शहरी नियोजन सुधारों को शुरू करने के लिए अभूतपूर्व मात्रा में धन वितरित किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे शहरों और कस्बों के परिवर्तन में 2014 से 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

उन्होने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने योजनाबद्ध शहरीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमन्त्री (पीएम) स्वनिधि (एसवीएनिधि) मिशन और दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई- एनयूएलएम) जैसी पहलों/मिशनों के बारे में चर्चा की, जो कि शहरी क्षेत्रों की वृद्धि और विकास में परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के अंतर्गत लगभग 1.19 करोड़ घरों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा, 1.13 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और 77 लाख घरों को आवंटित किया जा चुका है ।

स्वच्छ भारत मिशन से पूरे भारत में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव आया है। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग 2014 में 17 प्रतिशत से बढ़कर आज 76 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने आने वाले वर्षो में 100 प्रतिशत अपशिष्ट प्रसंस्करण हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया।

मंत्री ने कहा कि अमृत (एएमआरयूटी) ने 1.72 करोड़ से अधिक जल नल कनेक्शन और 1. 35 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान करके 500 शहरों में पानी और सीवरेज जैसे बुनियादी सामाजिक बुनियादी ढांचे का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि अब अमृत 2.0 हमारे शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने की आकांक्षा से आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 6,069 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है।

वर्तमान में हमारे पास लगभग 871 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और 905 किलोमीटर और मेट्रो नेटवर्क के निर्माण के बाद, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि 'दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाओं का सृजन किया गया है और इस मिशन ने 14. 9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया'।

उन्होंने कहा कि जहां भी स्थानीय निर्वाचित नेताओं, महापौरों, नगर निगम आयुक्तों और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है वहां हमने अविश्वसनीय परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन में, मेयरों को देश भर के हर वार्ड और कॉलोनी में जागरूकता अभियान का नेतृत्व करते देखा गया।'

मंत्री ने कहा कि हमें अपने महापौरों और नगर परिषदों को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया है कि वे स्थानीय स्तर पर वैश्विक कारवाई चलाने में सक्षम हैं।

16 हजार आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करेगी राज्य सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'पुनर्वास' योजना के तहत जिला मंडी के 3800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किश्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की। विशेष

राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी तबाही आएगी। उन्होंने इस तबाही को स्वयं देखा और इसे युद्ध की तरह लड़ने का फैसला किया। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व अन्य कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय दिया। प्रदेश में फंसे 75 हजार पर्यटकों को एक मिशन के रुप में सुरक्षित निकाला गया। 48 घंटों में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अस्थाई रूप से बहाल किया। आपदा से प्रदेश में 12000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ राजस्व को भी हानि हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी और गरीब व निर्धन लोगों की सरकार है तथा उनके दर्द को अच्छे से पहचानती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इंसानियत देखकर कार्य करती है। नेता विपक्ष जय राम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री भेजी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16 हजार परिवारों का पुनर्वास करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बार-बार केंद्र सरकार से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज की मांग की। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, लेकिन अभी तक विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश की मदद करने की मांग की लेकिन भाजपा का कोई भी नेता पैकेज मांगने दिल्ली तक नहीं गया। यही नहीं जब विधानसभा में प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संकल्प लाया गया तो भी भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी आपदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई होती तो कांग्रेस पूरी मज़बूती के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष बनाया जिसमें ऐतिहासिक 230 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं, जो प्रदेश की संस्कृति और लोगों में परोपकारी भाव को दर्शाता है। बच्चों ने अपनी गुल्लक तक आपदा राहत कोष के लिए दे दी। कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दिया, लेकिन ऐसे समय में भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 10 हजार करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा जल्द ही 2 हजार करोड़ के क्लेम और भेजे जाएंगे।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ का पैकेज देना एक सराहनीय कदम है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने अपनी जमापूंजी से जरूरतमंदों की मदद के लिए 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दिए, जो एक स्मरणीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कई बार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे अनसुना कर दिया। उन्होंने सभी भाजपा सांसदों से आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री से मिलकर मदद मांगने के लिए पत्र लिखा लेकिन किसी भी भाजपा सांसद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल के हालात से वाक़िफ़ कराया, लेकिन प्रदेश को अभी तक कोई मदद प्रदान नहीं की गई है।

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार बरसात में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज के तहत प्रथम किस्त के रूप में जिला मंडी को 70 करोड़ रुपए की किश्त जारी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौलचौक ने एक लाख रुपये, क्रशर ओनर काउंसिल ने 11 लाख रुपये, जोगिंदरनगर मंडल कांग्रेस ने 5.51 लाख रुपये तथा सरकाघाट कांग्रेस ने 1.61 लाख रुपये के चेक आपदा राहत कोष के लिए प्रदान किए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6.43 करोड़ रुपए की लागत से मंडी में बनने वाले पुलिस थाना (विजिलेंस) की आधारशिला भी रखी।

हिमाचल में शुरू होगी टूरिस्ट हेल्पलाइन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टैम्पो ट्रेवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर (एसआरटी) व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित

करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात ओक ओवर में शिमला होटल्ज़ एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम-स्टे नीति लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सड़क सम्पर्क के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ की जा रही हैं। सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला में एक और हेलीपोर्ट के निर्माण पर भी विचार कर रही है। पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसी दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। प्रदेशवासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से यू.वी./अल्ट्रा फिल्टरेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र सेठ ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

जुब्बड़हट्टी के समीप 1373 करोड़ रुपये से 'माउंटेन सिटी' स्थापना के लिए भू-अधिग्रहण को हरी झंडी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के निदेशक मंडल की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जनता में अपनी उपस्थिति और सेवा बढ़ाने के दृष्टिगत हिमुडा को नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने रिकॉर्ड-कीपिंग को सुव्यवस्थित करने और भौतिक दस्तावेजीकरण पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट बुक्स (ई-एमबी) को अपनाने के निर्देश दिये। सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

उन्होंने हिमुडा को सतत् एवं समावेशी शहरी विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लैट के आकार में सुधार करने और इसे उपयोगकर्ता के और अधिक अनुकूल बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने हिमुडा की सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमुडा को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से कार्य कर अपनी परियोजनाओं में नवीन पहल करनी चाहिए। उन्होंने हिमुडा के अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो भविष्य में राज्य में आवास और शहरी विकास को आकार प्रदान करेंगे। हिमुडा ने राज्य के आवंटनकर्ताओं के प्रति उदार रवैया अपनाया है जिन्हें बकाया भुगतान के संबंध में विवादों का सामना करना पड़ रहा है। निदेशक मंडल ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लोगों को लंबित भुगतान बकाया को काफी कम दर पर निपटाने का अवसर प्राप्त होगा। इससे न केवल जनता का वित्तीय बोझ कम होगा, अपितु हिमुडा को समुचित संसाधन भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें जनता की भलाई के लिए भविष्य की गतिविधियों में पुनर्निवेशित किया जाएगा।

बोर्ड ने हिमुडा को एकमुश्त निपटान नीति (वन टाईम सेटलमेंट पॉलिसी) के तहत भवनों की एटीक को भी नियमित करने का प्रावधान करने के निर्देश दिए। बोर्ड ने निर्देश दिए कि एटीक को लेकर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुरूप हिमुडा भी अपनी नीति बनाए।

बोर्ड ने हिमुडा को शिमला में भीड़भाड़ को कम करने के दृष्टिगत शिमला के निकट जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास नये शहर 'माउंटेन सिटी' की स्थापना के लिए भूमि अधिगृहित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1373 करोड़ रुपए है। परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और उन्नत भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करते हुए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के साथ एक अत्याधुनिक शहर का निर्माण किया जाएगा।

मिल्कफेड ने नए गिफ्ट पैक और शुगर फ्री मिठाईयां बाज़ार में उतारीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुग्ध प्रसंघ को बाजार में मांग आधारित उत्पाद तैयार करने के

निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

त्यौहारों के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक, शादी की भाजी और शुगर फ्री मिठाइयां बाज़ार में उतारी हैं। नए गिफ्ट पैक तीन तरह की पैकिंग में उपलब्ध होंगे, जिनका मूल्य क्रमशः 620, 1000 तथा 1500 रुपए रखा गया है। मिल्कफेड के सभी बिक्री केंद्रों तथा जिला मुख्यालयों पर यह उपलब्ध होंगे।

मिल्कफेड के प्रबन्ध निदेशक डॉ. विकास सूद ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सभी उत्पादों को तैयार करने में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शुगर फ्री मिठाइयों की मांग को देखते हुए मिल्कफेड ने इन्हें बाज़ार में उतारा है। इसके साथ-साथ मिल्कफेड की मिल्क केक, पहाड़ी बर्फी, कोकोनट बर्फी, के साथ-साथ 16 प्रकार की मिठाइयां बाज़ार में उपलब्ध होंगी।

हिमाचल बलिदानियों की भूमि, यहाँ मेरी माटी मेरा देश को लेकर अपार उत्साह:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मोतीपुर, मंडी व बिलासपुर में विशाल सभा को संबोधित किया व भारत सरकार के इस अनुपम कार्यक्रम की बारीकियों

व इसकी उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर पंच प्रण की शपथ दिलाई और वीर नारियों सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने का आहवान करते हुए बताया कि डिजिटल तकनीक को अपनाने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल साढे 13 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आ पाये हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में पूरे धूम-धाम से मनाया गया था और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में 'मेरी माटी मेरा देश'-वीरो को वंदन और मिट्टी को नमन इस भाव के साथ इसकी शुरुआत की गई है। 'मेरी माटी-मेरा देश' कार्यक्रम के माध्यम से, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भूले हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की एक नई दृष्टि दी है। स्वतंत्रा सेनानियों ने इसके लिए 'बलिदान' दिया है, हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए आप सभी को योगदान देना होगा। इस धरती पर प्राण न्योछावर करने वालों को हम सब अपना समर्पण, अपनी मिट्टी प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। हर घर से, हर गांव से, हर देहात से मिट्टी का कण अमृत वाटिका के निर्माण में पहुंचे और हर भारतीय इस देश की मिट्टी से जुड़कर देश के विकास के कार्यरत रहे।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'मेरी माटी, मेरा देश' आजादी के अमृत महोत्सव का अंतिम कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत देश के साढ़े 6 लाख गांवो में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। 30 करोड़ घरों से मिट्टी ली जाएगी। प्रत्येक गांव में अमृत वाटिका बनेगी। प्रत्येक गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर से होते हुए देश की राजधानी लाया जाएगा। पंच प्रण के शपथ लिए जाएंगे। वीरों का नमन मिट्टी का वंदन होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा 'भाजपा और इसके कार्यकर्ता दिखावे के लिए सहायता नहीं करते। हिमाचल में आपदा के समय केंद्र ने एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ तो पहले ही दे दिए, फिर 5000 घर, दूसरी बार 6000 घर, कुल मिला के 11000 घर दिए। 2700 करोड़ ग्रामीण सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में जो बंदिशे थीं सुविधा के लिए उन्हें हटाया गया। अब कामगार जितनी दिहाड़ी लगानी उतनी लगा सकते हैं। इससे बावजूद अगर राज्य की सरकार कहे की कुछ नहीं दिया तो आसानी से समझा जा सकता है कि आपदा में भी कुछ लोग राजनीती करते हैं।

डिजिटल तकनीक पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा अगले तीन वर्षो में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण ई-पेमैंट में पूरी दुनिया में भारत का शेयर 46 प्रतिशत हो गया है। आत्मनिर्भर अभियान के अर्न्तगत भारत में पिछले एक साल में एक लाख करोड़ रुपये का रक्षा उपकरणों का उत्पादन किया है। जबकि इसी दौरान 16000 करोड़ का निर्यात किया है। अगले पांच साल में रक्षा उपकरणों का उत्पादन दो गुना और निर्यात तीन गुणा हो जाएगा। आत्मनिर्भर अभियान के अर्न्तगत एक लाख रुपये के मोबाईल फोन निर्यात किया गया है। अमृत महोत्सव ने पिछले दो वर्षो में भारत की आजादी के अमर बलिदानियों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया है। पिछले दो वर्षो में 750 जिलों में यह पता चला है कि उस गांव में किसने आजादी में अपना योगदान दिया है। इसके बारे में ऑनलाईन भी देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने 'सपनों का संचय'-डिपोजिट लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के माल रोड स्थित मुख्यालय में बैंक की महत्त्वाकांक्षी नई योजना 'सपनों का संचय'-डिपोजिट

लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया।

यह एक बहु-आयामी योजना है जिसके तहत 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा विशेषकर स्कूली बच्चे बचत खाता खुलवाकर बैंक से जुड़ सकते हैं। प्रतिवर्ष जो भी राशि उनके बचत खाते में जमा होगी, वह एक साल बाद फिक्सड डिपॉजिट में बदल जाएगी। यह क्रम 18 वर्ष की आयु तक चलता रहेगा।

प्रार्थी बालिग होने पर अपनी उच्च शिक्षा व व्यवसाय इत्यादि शुरू करने के लिए अपनी कुल जमा राशि के 5 गुणा तक का ऋण लेने के लिए पात्र होगा।

मुख्यमंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक द्वारा चलाई जा रही सशक्त महिला ऋण योजना भी काफी लोकप्रिय हुई है। इसके तहत लगभग 4000 लाभार्थियों को लगभग 8.50 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए हैं।

बैंक ने 25 नई शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेंस प्राप्त किये हैं। इसके उपरांत बैंक के आउटलेट की संख्या बढ़कर 262 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों का सहकारी बैंक पर विश्वास निरंतर बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप ग्राहकों की संख्या 16 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। बैंक ने 24 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें से 14997 करोड़ रुपये की जमा पूंजी तथा 9139 करोड़ रुपये के ऋण वितरण हैं।

इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम ने बैंक की ओर से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 4 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।

बिलासपुर में बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला को 8 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दीं। उन्होंने बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य दो वर्षो के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसी परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों की 10 पंचायतों में भी ऐसी और डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों को इसका लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के साथ अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को इस वर्ष के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 5.18 करोड़ रुपये की लागत से कृषि भवन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग, उप-निदेशक कार्यालय, किसानों की बैठकें आयोजित करने के लिए हॉल, वीडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पर्याप्त

कमरों की सुविधा होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद दिन-प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि और राज्य से आपदा से संबंधित 12 हजार करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार को भेजे गए हैं लेकिन कोई विशेष राहत जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि भेजे गए दावों पर नियमानुसार केंद्र सरकार को जल्द से जल्द धनराशि जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेंकती रही और प्रभावित परिवारों के साथ उनका रवैया उदासीन ही रहा। प्रदेश में आई इस भीषण आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प का भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने आपदा राहत कोष में रिकॉर्ड दान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया।

स्थानीय लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित होगा वन संसाधन प्रबंधन

शिमला/शैल। प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बेहतर वन प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वन मंडल स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना को स्वी ति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य 2061 वन मंडलों में वन संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौध रोपण, रेसिंन टैपिंग (राल दोहन) और बचाव कार्यो जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस पहल के माध्यम से वन संसाधनों के स्थाई प्रबंधनों के साथ-साथ युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा इन संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, इसलिए इन समुदायों की वन संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।

इस योजना के माध्यम से लोगों को वर्षभर वन विभाग द्वारा संचालित सभी वानिकी कार्यो में भी अभिन्न रूप से शामिल किया जाएगा ताकि वन संरक्षण की दिशा में बेहतर परिणाम सामने आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वन, पहाड़ी ढलानों का संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना महत्त्वपूर्ण है। यह नवोन्मेष पहल वन विभाग और स्थानीय समुदाय के मध्य भागीदारी को रेखांकित करती है। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना स्थानीय समुदायों की भागीदारी से पर्यावरण एवं वन संरक्षण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में मील पत्थर साबित होगी।

चार प्रजाति की लकड़ी प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा, पॉपलर, बांस की लकड़ी के साथ-साथ कुठ (औषधीय पौधे) को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि अब राज्य के लोग इन चार प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के भीतर भी बिना अनुमति के हो पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यवसायिक स्तर पर उगाते हैं, ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन चार प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी-बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। हालांकि इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग से विभिन्न प्रकार के ई-परमिट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में नेशनल ट्रान्ज़िट पास सिस्टम शुरू करने जा रही है। यह सिस्टम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का छठा राज्य होगा, जिसके शुरू होने से जहां लोगों को ई-परमिट प्राप्त करने में सुविधा होगी, वहीं विभाग के कार्यो में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सरकार की नीति है?

- इण्डस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय प्रकरण से उठी चर्चा
- अक्तूबर 22 में विनियामक आयोग विश्वविद्यालय बन्द करने की सिफारिश भेजता है
- लेकिन जनवरी में नये कोर्स शुरू करने की भी अनुमति दे देता है क्यों?

शिमला/शैल। हिमाचल को शैक्षणिक हब बनाने के नाम पर जब प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में निजी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान बड़े पैमाने पर खुले थे तब यह आरोप लगा था कि शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। यह आरोप लगा था कि इन संस्थानों में छात्रों और उनके अभिभावकों दोनों का ही यहां शोषण होगा। इन आरोपों का गंभीर संज्ञान लेते हुये सरकार ने 2010 में ही एक निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की स्थापना कर दी थी। इन शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के मानकों के अनुसार अध्यापन हो रहा है। इन संस्थानों में नियुक्त किया जा रहा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टॉफ यूजीसी द्वारा तय शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रखा जा रहा है। और उसे यूजीसी के मानकों के अनुसार वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं यह सुनिश्चित करना इस आयोग के क्षेत्राधिकार में रखा गया था। जो संस्थान तय मानकों पर जितना उतरेगा उसे उसी के अनुरूप पाठय कोर्स आवंटित किये जाएंगे। यह सब सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर इन संस्थानों का निरीक्षण किया जाना और उस निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंपना आयोग के कार्य क्षेत्र का अनिवार्य हिस्सा है। यही नहीं इन शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यशैली को पारदर्शी बनाने के लिए हर विश्वविद्यालय की ई.सी. में विधायकों का भी मनोनयन विधानसभा द्वारा किया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों को इतनी इतनी जमीन खरीद की अनुमतियां हासिल हैं कि शायद ही कोई विश्वविद्यालय अपनी आधी जमीन का भी अब तक उपयोग कर पाया हो। जबकि दो वर्ष के भीतर ऐसी हासिल जमीन का उपयोग करना होता है और इसकी रिपोर्ट भी आयोग को देनी होती है। लेकिन सरकार द्वारा नियामक आयोग स्थापित किए जाने के बाद भी मानव भारतीय विश्वविद्यालय प्रकरण इस प्रदेश में घट गया। आज ऊना स्थित इण्डस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय भी कुछ कुछ इस कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है। इसमें विश्वविद्यालय में ज्यादा सवाल तो विनियामक आयोग की कार्य प्रणाली और सरकार की उदासीनता पर उठ रहे हैं। स्वभाविक है कि किसी भी विश्वविद्यालय में बच्चे वहां पढ़ा रहे अध्यापकों की योग्यता से प्रभावित होकर ही आते हैं। जिस संस्थान में छात्रों की संख्या हर वर्ष गिरती चली जाये वह संस्थान ज्यादा देर कार्यशील नहीं रह सकता यह तय है। इस विश्वविद्यालय में 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में छात्रों की संख्या 135 थी जो 2020-21 में घटकर 55 रह गई और 2021-22 में शून्य पहुंच गई। 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में 166 है। छात्रों की इस घटती संख्या का विनियामक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अयोग्य फैक्लटी और यूजीसी के मानकों के अनुसार स्टॉफ को वेतन न दिया जाना। विनियामक आयोग इन कमियों पर इस विश्वविद्यालय को जुर्माना भी लगता है और फिर कोविड के नाम पर आधा जुर्माना माफ भी कर देता है। जब विश्वविद्यालय में कोई सुधार नहीं होता है तो यह आयोग अक्तूबर 22 में इसे बन्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को पत्र भेज देता है। लेकिन अक्तूबर के बाद 2023 में इसी विश्वविद्यालय को बी.ए. एम.एस. और एल.एल.बी. जैसे नये कोर्स शुरू करने की अनुमति देता है। उधर सरकार आयोग के अक्तबर 22 के पत्र पर आज तक कोई कारवाई नहीं करती है। जब रिकॉर्ड पर यह स्थितियां आ चुकी हो और फिर भी कुछ कारवाई न हो पाये तो इसे भ्रष्टाचार को संरक्षण देना न कहा जाये तो और क्या कहा जाये?

घातक होगा प्रतिभा सिंह की चिन्ता और चेतावनी को नजरअन्दाज करना

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले वर्ष दिसम्बर में प्रदेश की सत्ता संभाली थी उस समय केवल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण हुआ था। एक माह बाद जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार और इसमें तीन मंत्री पद खाली छोड़ दिये गये थे। लेकिन इस विस्तार से पहले छ: मुख्य संसदीय सचिवों को मुख्यमंत्री ने शपथ दिला दी। जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था तब सुक्खू के साथ ही मुकेश अगनिहोत्री और हौली लॉज से प्रतिभा सिंह का नाम भी दावेदारों के रूप में चर्चा में आया था। लेकिन उस समय यह चर्चा भी बाहर आ गयी थी कि 20-21 विधायकों ने हाई कमान के प्रतिनिधियों को यह संकेत दे दिया था कि यदि सुक्खू को मुख्यमंत्री न बनाया गया तो वह पार्टी से बगावत कर देंगे। उस समय इन चर्चाओं को ज्यादा अधिमान नहीं दिया गया था। क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को उस समय प्रदेश से बाहर ले जाने या किसी स्थान पर ऑपरेशन कमल के डर से बंधक बनाकर रखने की नौबत नहीं आयी थी। उस समय भाजपा की ओर से प्रत्यक्ष ऐसा कोई आचरण भी नहीं किया गया जिससे यह लगता कि भाजपा कुछ गड़बड़ कर सकती है।

लेकिन सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस का संगठन और उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता जिस नजरअन्दाजी के साये में चल रहे हैं वह अब कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह की मुखरता के मुकाम पर आ पहुंची है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी को वह राष्ट्रीय अध्यक्ष खेडगे और अन्य के संज्ञान में कई बार ला चुकी है। प्रदेश में संगठन पूरी तरह निष्क्रिय चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुछ गैर विधायकों की ताजपोशियां कर रखी हैं उससे यही संकेत और संदेश गया है कि जब सुक्खू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष एक कठिन राजनीतिक दौर से गुजर रहे थे उस समय जिन मित्रों ने उनका साथ दिया था इस समय वही लोग उनकी प्राथमिकता हैं। उस समय भी एक हस्ताक्षर अभियान चला था। एक एन.जी.ओ. के अध्यक्ष और सुक्खू में हुआ राजनीतिक टकराव अदालत तक भी जा पहुंचा था। बल्कि उसी दौरान जब सुक्खू ने भाजपा पर शिमला सोलन और बिलासपुर में 15 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप एक पत्रकार वार्ता में लगाया। लेकिन इस आरोप की डिटेल जारी होने से पहले ही हमीरपुर में विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेन्द्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर और महामंत्री राजेश ठाकुर व अजय शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस ब्यान में सुक्खू के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा दिये। लेकिन दोनों ओर से यह आरोप ब्यानों से आगे नहीं बढ़े।

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में इस समय कांग्रेस संगठन और सरकार के रिश्ते जो आकार लेते नजर आ रहे हैं उनका आकलन करने के लिए पूर्व में घटित इन स्थितियों को संज्ञान में रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि विधायकों की शपथ से पहले ही प्रोटेम स्पीकर द्वारा जयराम को नेता प्रतिपक्ष बना देना और उसके बाद मंत्रिमंडल बनते ही एक दर्जन भाजपा विधायकों द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना एक सुविचारित योजना का हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि जब पूर्व में ऐसी नियुक्तियों को उच्च न्यायालय पहले ही निरस्त कर चुका है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जुलाई 2017 में ही अपनी मोहर लगा चुका है। यह सब संज्ञान में होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियां का किया जाना ही अपने में कई सवालों और संदेहों को जन्म देता है। ऐसी राजनीतिक वस्तु स्थिति में संगठन और सरकार में आकार लेट टकराव गंभीर माना जा रहा है। क्योंकि विश्लेष्कों की नजर में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को अभी इन लोकसभा चुनावों के बाद अगले विधानसभा चुनाव में भी अप्रसांगिक नहीं किया जा सकता। अभी जो कुछ घट रहा है उससे इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है।